<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
सप्लाई विविध प्रकरण सं. 03/2019
प्रर्वतन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, जोधपुर बनाम सहबाज खान</td></tr>
</table>

13-05-2019

पत्रावली आज पेश हुई। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार जरिये प्रर्वतक निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय जोधपुर की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 –ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सहपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस वितरण व प्रदाय नियंत्रण आदेश के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध सर्वप्रथम न्यायालय, जिला कलक्टर, जोधपुर के यहां पेश किया है। प्रकरण स्थानान्तरण से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया जिसमें वस्तु स्थिति यह है कि दिनांक 11.04.2018 को रसोई गैस कालाबाजारी तथा घरेलू गैस का वाणिज्यिक प्रयोग में लेने के क्रम में प्रवर्तक निरीक्षक ने अप्रार्थी की फर्म मैसर्स मयूर ट्रेडर्स का रूबरू निरीक्षण किया गया तथा मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग पेट्रोमेक्स रिफिलिंग के काम में लिये जा रहे कुल चार घरेलू गैस सिलेण्डर जिसमें से 1 इण्डेन गैस सिलेण्डर तथा 3 भारत गैस सिलेण्डर पाये गये। उक्त सिलेण्डरों को जब्त किया जाकर भंवरलाल पुत्र धनारामजी, फर्म महावीर गैस सर्विस, जोधपुर को सुपुर्द किया गया।

क्रं. स.	सिलेण्डर नं.	कम्पनी का नाम	सिलेण्डर पर अंकित वजन	सिलेण्डर का वजन	गैस का वजन
1.	0398746-S	इण्डेन गैस	15.6	18.6	3.00
2.	482379-S	भारत गैस	15.6	17.6	2.00
3.	307265–T	भारत गैस	15.2	18.5	3.300
4.	113690	भारत गैस	15.4	17.3	1.900

इस प्रकार घेरलू गैस सिलेण्डर का सग्रंह कर वाणिज्यिक कार्य में प्रयोग किया जाना पाया गया जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनिमयन) आदेश 2000 की धारा 3 (1) (B) (C) व 7(C) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्राथी को नोटिस अन्तर्गत धारा 6 बी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का जारी किया जो विधिवत तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी दिनांक 06.05.2019 को स्वयं उपस्थित हुआ तथा लिखित व मौखिक में कहा कि इस प्रकरण में किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ। अतः इस प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

	इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डर का संग्रह कर वाणिज्यिक कार्य उपयोग में लिया जाना पाया गया जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, और वितरण विनिमयन) आदेश 2000 की धारा 3 (1) (B) (C) व 7(C) की स्पष्ट अवहेलना की गई जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से विभागीय कार्यवाही से सहमत होते हुए जब्तसुदा 4 गैस सिलेण्डर मय गैस को राज्यसात (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को निर्देश है कि वह उक्त सिलेण्डर को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उनसे प्राप्त राशि निर्धारित मद में राज्य कोष में जमा करायी जाये। आदेश की एक प्रति जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।